दावा - 20/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुआ
08.05.18	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट माण्डेला बड़ा पर पेश हुई। तहसीलदार, फतेहपुर से जरिये पत्रांक 03 दिनांक 08/05/18 के रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार, फतेहपुर की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वादी का नाम ग्राम ठिठावता बोड़िया की भूमि ख० नं० 53 रकबा 11.09 है० भूमि में पूर्णमल पुत्र अमालाल के स्थान पर "कालूराम पुत्र अमालाल" दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।	कालूराम
	वादी की माता जसली देवी पत्नी अमालाल हि० 0.5450 की खातेदारी में खातेदार जसली के फौत हो जाने के परिणाम स्वरूप विरासत का नामान्तरण दर्ज किया जावे एवं वादी की सगी बहनों का भी विरासत में नाम दर्ज किया जावे तथा वादी की माता जसली का नाम हज्फ नहीं किये जाने के आदेश दिये जाते है।	
	आदेश की प्रति तहसीलदार, फतेहपुर को पालना हेतु भिजवावें।	

(देव कोठारी)